

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी 2018—फाल्गुन 1, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल  
“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2018

### ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 703-वि.यो. 496-नग्रानि.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर.

### अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्वालियर विकास योजना 2021.	—	5	कंडिका 5.14.1 (च) :— डी.आर.डी.ओ. सिटी सेंटर, तानसेन मार्ग की सीमा से 200 मीटर तक केवल 6 मी. की ऊंचाई तक का निर्माण अनुमत होगा.	—	कंडिका 5.14.1 (च) :— डी.आर.डी.ई. सिटी सेंटर, तानसेन रोड की सीमा से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण DRDE की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				कंडिका 5.14.1 (छ) :— थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100 मीटर तक केवल 6 मी. की ऊंचाई का निर्माण अनुमत होगा.	—	कंडिका 5.14.1 (छ) :— थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100/900 मीटर तक कोई भी निर्माण थल सेना एवं वायुसेना की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा.
				सारिणी 5-सा-1 की टीप :— विकास योजना मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अन्तर्गत, आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है. इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास की अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक हेतु किये जाने वाले विकास की अधिकतम ऊंचाई 7.2 मीटर होगी.	—	सारिणी 5-सा-1 की टीप — विकास योजना मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अन्तर्गत भी आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किए गए हैं. इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक में 6 मीटर वाणिज्यिक में 6 मीटर से अधिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक उपयोग में 7.2 मी. से अधिक ऊंचाई एयरफोर्स/रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगी.
2	ग्वालियर विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	5	5-सा-14	पी-1 कॉलम 4 सरल क्रमांक 15	हेल्थ सेंटर NP के स्थान पर P मान्य होगा.
					सरल क्र. 86	Local Self, Semi Govt./ Govt. Office (गतिविधि) NP के स्थान पर P मान्य होगा.
		कृषि	5	5-सा-14	सरल क्र. 123	गैर प्रदूषणकारी उद्योग*
					कॉलम 13 सरल क्र. 123	गैर प्रदूषणकारी उद्योग*
					सरल क्र. 124	कृषि पर्यटन सुविधा**
		आवासीय	2	5-सा-14	सरल क्र. 125	मल्टीप्लेक्स

**व्याख्या—**

- i. \* गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ii \*\* कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार.

टीप.— सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.